न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 174–तीन/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–11–11 पारित द्वारा कलेक्टर, सिंगरोली प्रकरण क्रमांक 103/अ–74/09–10.

होरिल प्रसाद गुप्ता तनय स्व. रामप्रसाद गुप्ता
निवासी ग्राम निवास तह0 देवसर
जिला सिंगरोली म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन
द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरोली म.प्र. ——— अनावेदक

श्री एस. पी. धाकड़, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री बी.एन. त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 103/अ–74/09–10 में पारित आदेश दिनांक 7–11–11 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, सिंगरोली को रामचन्द्र त्रिपाठी एवं एक अन्य द्वारा ग्राम पापल, गोरगी, छमरछ, धनवाही, महुआगांव के भू–अभिलेखों में कूटरचना के माध्यम से व्यापक पैमाने पर शासकीय भूमियों की हेरीफेरी किए जाने के संबंध में शिकायती आवेदन पेश किया गया । इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीक्षक, भू–अभिलेख से प्रतिवेदन मंगाया गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक 1118/भू–अभि./245/10 दिनांक 18–10–2010 के आधार पर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा अन्य भूमियों के साथ–साथ आवेदक के नाम भू–अभिलेख में दर्ज प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 464 (पुराना सर्वे नं0. 66 मिन) रकबा 0.80 को भी म.प्र. शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये । कलेक्टर के उक्त आदेश

से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । (पक्ष में ग्राम गोरगी स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 66 मिन (नया नबर 464) रकबा 1.214 का व्यवस्थापन तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–7–88 को किया गया था ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हें कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा था । तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 66 मि. रकबा 1.214 (नया नंबर 464 रकबा 0.80)का व्यवस्थापन पटवारी की रिर्पोट, ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद विधिवत प्रकिया अपनाने के उपरांत प्र.क. 54/अ–19(6)/87–88 में पारित आदेश दिनांक 11.7.88 द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया था । आवेदक के व्यवस्थापन पर कोई आपत्ति किसी के द्वारा नहीं की गई और ना ही उसको कोई चुनौती दी गई । आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व कलेक्टर द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा कलेक्टर द्वारा आलोच्य आदेश आावेदक के पीठ–पीछे पारित किया गया है जो पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है ।

यह तर्क दिया गया अधीक्षक, भू–अभिलेख जिसके प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि को शासन दर्ज किया गया है उनके द्वारा भी उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा मनमाने तरीके से बिना राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किये प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । यदि अधीक्षक, भू–अभिलेख एवं कलेक्टर द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता तो वह इस संबंध में सही स्थिति रख सकते थे । अतः उक्त जाच प्रतिवेदन को आधार बनाकर कलेक्टर ने आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व विधि अनुसार व्यवस्थापन को निरस्त करने बावत कारण बताओ सूचनापत्र जारी करना था एवं सुनवाई के उपरांत कानूनन निर्णय किया जाना चाहिए था जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है और 22 वर्ष उपरांत अवैधानिक तरीके से तहसील न्यायालय के विधिसम्मत आदेश को निरस्त किया गया जो विधिसम्मत नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व मंडल, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालयों के अनेक निर्णयों का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर ने आवेदक के पक्ष में जारी व्यवस्थापन आदेश

को अन्य व्यक्तियों के पक्ष में जारी किए गए बंटन आदेशों के साथ सम्मिलित कर मात्र उपधारणाओं के आधार पर वैध व्यवस्थापन आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है । अंत में उनके द्वारा कलेक्टर के आलोच्य आदेश को सर्वे नं आवेदक के भूमिस्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 464 रकबा 0.80 के संबंध में निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया तथा यह कहा गया कि कलेक्टर के सम्पूर्ण आदेश से उन्हें कोई लेना देना नहीं है । अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 मोहम्मद कवि विरूद्ध फात्माबाई इब्राहिम (खंडपीठ माननीय उच्चतम न्यायालय), 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 (पूर्णपीठ उच्च न्यायालय), 2011 आर0एन0 273 माननीय उच्च न्यायालय एवं न्यायदृष्टांत 1988 आर.एन. 187 माननीय उच्च न्यायालय उद्धरित किये गये हैं ।

4– अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस न्यायालय के समक्ष तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में किए गए व्यवस्थापन आदेश से संबंधित अभिलेख उपलब्ध है, इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर ग्राम गोरगी स्थित प्रश्नाधीन शासकीय भूमि स्थित सर्वे नं. 66 मि. रकबा 1.214 (नया नंबर 464 रकबा 0.80) का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में प्रकरण कमांक 54/अ–19 (4)/87–88 में पारित आदेश दिनांक 11–7–88 को किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील/निगरानी शासन अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिलेख से स्पष्ट नहीं है । तहसील न्यायालय के अभिलेख में खसरा वर्ष 81–82 लगायत 84–85 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है इसमें प्रश्नाधीन भूमि पर म.प्र. शासन अंकित है तथा आवेदक का कब्जा दर्ज है । इससे आवेदक के इस तर्क में बल है कि अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा बिना राजस्व अभिलेखों की जांच किए मनमाने तरीके से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि कलेक्टर द्वारा आवेदक के पक्ष में विधिवत रूप से किए गए प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 11–7–88 को अनदेखा कर 22 वर्ष उपरांत बिना किसी विधिक आधार के अधीक्षक, भू–अभिलेख के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के स्वामित्व की भूमि को म.प्र. शासन के नाम दर्ज करने के आदेश देने में

न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । कलेक्टर के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक जिसका नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित था, को बिना सुने आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है । आवेदक की ओर से जो न्यायदृष्टांत उद्धरित किए गए हैं वे इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होते हैं । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जहां तक आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि को म.प्र. शासन के नाम दर्ज किए जाने का प्रश्न है, उस सीमा तक कलेक्टर का आलोच्य आदेश अभिलेख पर आधारित न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 7–11–10 का अंश जहां तक आवेदक के स्वामित्व की भूमि वर्तमान सर्वे नं. 464 रकबा 0.80 का संबंध है, निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर का शेष आदेश स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार, सरई को निर्देश दिए जाते हैं कि वे पूर्ववत आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर